...ण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

...सीन अधिकारी – अगीलाल यादव R.A.S.

.../2024

...चन्द पुत्र स्व. प्रेमचन्द जाति ओसवाल छाजेड़ निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

2 ...रचन्द पुत्र स्व. प्रेमचन्द जाति ओसवाल छाजेड़ निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

3 कमला देवी पत्नि धनराज जाति ब्राहम्ण पारीक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

4 छुटनसिंह पुत्र रामेश्वरलाल पंवार जाति नाई निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

5 डॉ. प्यारेलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति नाई (गारू) निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

6 महावीर प्रसाद सुगनाराम जाति ब्राहम्ण पारीक बोहरा निवासी साण्डवा तह. बीदासर जिला चूरू

7 लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवानाराम जाति ब्राहम्ण पारीक बोहरा निवासी साण्डवा तह. बीदासर चूरू

8 श्याम सुन्दर पाण्डिया पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण पाण्डिया निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

9 श्रीमती बाली देवी पत्नि मदनलाल जाति ब्राहम्ण पारीक बोहरा निवासीनी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

10 श्रीमती सलोचना पत्नि महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण पारीक बोहरा निवासीनी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

अप्रार्थीगण

2 प्रभूराम पुत्र लालुराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

गौण अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित

1 प्रार्थीगण – श्री मोहम्मद षाहिद एडवोकेट

2 अप्रार्थी स. 1 पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :–28/11/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं गौण अप्रार्थी स. 2 के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों का खेत खसरा नम्बर 881/950 रकबा 0.5818 हैक्टेयर (2–06 बीघा) वाके रोही ग्राम साण्डवा में स्थित है उक्त खेत खसरा नम्बर 881/950 के पूर्व खातेदार मालाराम, रामूराम पि. तोलूराम निष्फ व पेमाराम, सुरजमल, पन्नाराम, बिशनाराम पिसरान् भगवानाराम निष्फ जाति डाकोत निवासीगण साण्डवा के खातेदारी का दर्ज रहा है, जो जरिये नामान्तरकरण सख्या 2930 दिनांक 17/6/1967 ईस्वी बैनामा दिनांक 27/2/1967 के आधार पर प्रार्थी सख्या 1 व 2 के सगे भाई कन्हैयालाल वल्द प्रेमचन्द कौम महाजन ओसवाल छाजेड़ सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रही है। मुताबिक विकय पत्र दिनांक 27/2/1967 के विकय भूमि के आसे पासे निम्न प्रकार रहे है। उतर सड़क बीकानेर, दक्षिण आबादी में बाड़ा श्री प्रेमचन्द छाजेड़, पूर्व रास्ता आम, पश्चिम नोहरा श्री प्रेमचन्द छाजेड़ रहा है। उपरोक्त वर्णित आसे पासे की भूमि वर्तमान बस स्टेण्ड से पूर्वी तरफ तरफ तथा सड़क नोखा सीकर से दक्षिणी तरफ आबादी भूमि के चिपती

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

... भूमि के पास स्थित होने का स्पष्ट अंकन विक्रय पत्र दिनांक 27/2/1967 में है। उपरोक्त ... पासे के खेत खसरा नम्बर 881/950 तादादी 2-06 बीघा के खातेदार कन्हैयालाल से प्रार्थी ...सिंह ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24/7/2003 कार्यालय उप पंजीयक बीदासर के आधार ... भूमि खरीद की। प्रार्थी छुटनसिंह के विक्रय पत्र में वर्णित आसे पासे में उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर स्थित है तथा वर्तमान में प्रार्थी खातेदार छुटनसिंह का विक्रय पत्र में वर्णितानुसार आसे पासे व माप की भूमि पर कब्जा अधिकार है एवं प्रार्थी रेकॉर्डेड खातेदार है। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आसे पासे की भूमि खेत खसरा नम्बर 881/950 रकबा 2-06 बीघा के खातेदार कन्हैयालाल छाजेड़ से प्रार्थी डॉ प्यारेलाल एवं गौण अप्रार्थी प्रभूराम ने खातेदार कन्हैयालाल से भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 23/3/2004 के आधार पर खरीद की। जिनके आसे पासे में उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर दर्ज है एवं आज दिन प्रार्थी डॉ प्यारेलाल एवं गौण अप्रार्थी प्रभूराम का विक्रय पत्रों में वर्णित आसे पासे की भूमि पर कब्जा अधिकार है पुख्ता निर्माण किया हुआ है एवं खातेदारी रेकार्ड में नाम दर्ज है। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आसे पासे के खेत खसरा नम्बर 881/950 रकबा 2-6 बीघा के खातेदार कन्हैयालाल छाजेड़ से प्रार्थी कमला देवी, महावीर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण ने भूमि जरिये तीन अलग अलग विक्रय पत्र दिनांक 4/8/2004 के आधार पर उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर का अंकन के दस्तावेजात से खरीद की है एवं विक्रय पत्रों में वर्णित आसे पासे एवं माप अनुसार काबिज है तथा रेकार्डेड खातेदार है। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आसे पासे के खेत खसरा नम्बर 881/950 रकबा 2-06 बीघा के खातेदार कन्हैयालाल छाजेड़ से प्रार्थीया श्रीमती बाली देवी व प्रार्थीया श्रीमती सलोचना ने दो अलग अलग विक्रय पत्र दिनांक 3/9/2004 के आधार पर उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर का अंकन के दस्तावेजों से खरीद की एवं विक्रय पत्रों में वर्णित आसे पासे एवं माप अनुसार काबिज है तथा रेकार्डेड खातेदार है। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आसे पासे के खेत खसरा नम्बर 881/950 रकबा 2-06 बीघा के खातेदार कन्हैयालाल छाजेड़ से प्रार्थी श्याम सुन्दर ने विक्रय पत्र दिनांक 25/09/2004 के आधार पर भूमि खरीद की। जिसके आसे पासे में उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर अंकित है जिस पर प्रार्थी श्यामसुन्दर काबिज है एवं रेकाडेर्ड खातेदार है। उपरोक्त वर्णित खेत खसरा नम्बर 881/950 के प्रथम दस्तावेज जो कन्हैयालाल छाजेड़ के नाम है में उतरी तरफ सड़क बीकानेर अंकित है तथा अन्य समस्त दस्तावेजों में खेत खसरा नम्बर 881/950 के उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर अंकित है यानि उक्त खसरा भूमि सड़क नोखा सीकर से दक्षिणी तरफ स्थित है तथा पटवारी हल्का साण्डवा द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जारी नक्शा ट्रेश पी. 35 कमांक 2899 दिनांक 28/7/2004 में खसरा नम्बर 881/950 सड़क नोखा सीकर पर स्थित होने का दस्तावेजी प्रमाण है। वादगत खेत खसरा नम्बर 881/950 रकबा 2-06 बीघा सड़क नोखा सीकर पर स्थित रही है जिसकी ताईद सटलमेन्ट के वक्त के नक्शा से बखूबी प्रमाणित है। प्रार्थीया स. 3 श्रीमती कमला देवी के दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 4/8/2004 में उक्त खसरा से खरीद शुदा भूमि के उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर, दक्षिणी तरफ बाकी भूमि विकेता, पूर्वी तरफ भूमि जो लक्ष्मीनारायण को बेचि जा रही है, पश्चिमी तरफ बाकी भूमि विकेता अंकित है एवं इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीया स. 3 कमला देवी पत्नि धनराज पारीक दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया स. 3 की जाति ओसवाल दर्ज है जो गलत है जिसको प्रार्थीया दुरूस्त करवाना चाहती है। प्रार्थी स. 4 छुटनसिंह के दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 24/7/2004 में उक्त खसरा से खरीद शुदा भूमि के उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर, दक्षिणी तरफ बाकी भूमि खेड़ी विकेता, पूर्वी तरफ रास्ता आम 20 फुटा, पश्चिमी तरफ बाकी भूमि खेड़ी विकेता अंकित है एवं इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी स. 4

लगातार ___ 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

...रलाल पंवार जाति नाई दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी स. 4 की जाति ...र्ज है जो गलत है जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी स. 5 डॉ प्यारेलाल के ... विक्रय पत्र दिनांक 23/4/2004 में उक्त खसरा से खरीद शुदा भूमि के उतरी तरफ सडक ... सीकर, दक्षिणी तरफ बाकी भूमि विकेता, पूर्वी तरफ भूमि छुटनसिंह, पश्चिमी भूमि जो प्रभूराम को बेचि ... अंकित है एवं इस विकय पत्र के आधार पर प्रार्थी स. 5 डॉ प्यारेलाल पुत्र कन्हैयालाल मारू जाति नाई दर्ज हुई है। प्रार्थी स. 6 महावीर प्रसाद के दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 4/8/2004 में उक्त खसरा से खरीद शुदा भूमि के उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर, दक्षिणी तरफ बाकी भूमि विकेता, पूर्वी तरफ भूमि प्रभूराम, पश्चिमी भूमि जो लक्ष्मीनारायण को बेचि गई अंकित है एवं इस विकय पत्र के आधार पर प्रार्थी स. 6 महावीर प्रसाद पुत्र सुगनाराम पारीक दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी स. 6 की जाति ओसवाल दर्ज है जो गलत है जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी स. 7 लक्ष्मीनारायण के दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 4/8/2004 में उक्त खसरा से खरीद शुदा भूमि के उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर, दक्षिणी तरफ बाकी भूमि विकेता, पूर्वी तरफ भूमि जो महावीर प्रसाद को बेचि, पश्चिमी भूमि जो कमला देवी को बेचि गई अंकित है एवं इस विकय पत्र के आधार पर प्रार्थी स. 7 लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवानाराम पारीक दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी स. 7 की जाति ओसवाल दर्ज है जो गलत है जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी स. 8 श्याम सुन्दर के दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 25/9/2004 में उक्त खसरा से खरीद शुदा भूमि के उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर, दक्षिणी तरफ बाकी भूमि विकेता, पूर्वी तरफ भूमि जो सलोचना देवी को बेचि, पश्चिमी बाकी भूमि विकेता अंकित है एवं इस विकय पत्र के आधार पर प्रार्थी स. 8 श्याम सुन्दर पुत्र सोहनलाल पारीक दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी स. 8 की जाति ओसवाल दर्ज है जो गलत है जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी स. 9 श्रीमती बाली देवी के दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 3/9/2004 में उक्त खसरा से खरीद शुदा भूमि के उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर, दक्षिणी तरफ बाकी भूमि विकेता, पूर्वी तरफ भूमि कमला देवी पारीक, पश्चिमी भूमि जो सलोचना देवी को बेचि जा रही है अंकित है एवं इस विकय पत्र के आधार पर प्रार्थी स. 9 श्रीमती बाली देवी पत्नि मदनलाल पारीक दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी स. 9 की जाति ओसवाल दर्ज है जो गलत है जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहती है। प्रार्थी स. 10 श्रीमती सलोचना के दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 3/9/2004 में उक्त खसरा से खरीद शुदा भूमि के उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर, दक्षिणी तरफ बाकी भूमि विकेता, पूर्वी तरफ भूमि जो बाली देवी को बेचि जा रही है, पश्चिमी बाकी भूमि विकेता अंकित है एवं इस विकय पत्र के आधार पर प्रार्थी स. 10 श्रीमती सलोचना पत्नि महावीर प्रसाद पारीक दर्ज हुई है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी स. 10 की जाति ओसवाल दर्ज है जो गलत है जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहती है। इसी प्रकार गौण अप्रार्थी स. 2 प्रभूराम के दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 23/3/2004 में उक्त खसरा से खरीद शुदा भूमि के उतरी तरफ सड़क नोखा सीकर, दक्षिणी तरफ बाकी भूमि विकेता, पूर्वी तरफ भूमि जो प्यारेलाल को बेचि गई, पश्चिम बाकी भूमि विकेता अंकित है एवं इस विकय पत्र के आधार पर गौण अप्रार्थी स. 2 प्रभूराम पुत्र लालूराम जाति मेघवाल दर्ज हुई। उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 881/950 रकबा 2-06 बीघा में प्रार्थीगण 1 ता 10 एवं गौण अप्रार्थी स. 2 का हिस्सा, नाम व पिता का नाम तथा जाति विकय पत्रों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई जो जमाबन्दी संवत् 2068-2071 खाता नम्बर 168 जमाबन्दी पी. 35 कमांक 5936 दिनांक 16/2/2012 से तथा जमाबन्दी संवत् 2072-2075 खाता नम्बर 185 पी. 35 कमांक 7853 दिनांक 8/4/2017 से साबित है। उपरोक्त वर्णित खेत खसरा नम्बर 881/950 के समस्त खातेदारान् के नाम व जाति संवत् 2072-2075 की जमाबंदी रेकार्ड तक सही रही है एवं नक्शा ट्रेश भी अपने निर्धारित स्थान पर अंकित रहा है। कम्युटराईज जमाबन्दी एवं नक्शा का अंकन करते वक्त कम्युटर की त्रुटी से/लिपिकीय त्रुटी से उपरोक्त खसरा नम्बर 881/950 के खातेदारान् के की जाति तथा नक्शा ट्रेश में भिन्न भिन्न स्थिति हो गई, जो वर्तमान कब्जा अधिकार अनुसार गलत एवं निराधार है।

लगातार....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (चूरू)

खसरा नम्बर 881/950 के खातेदार कन्हैयालाल छाजेड़ द्वारा अपनी बाकी सम्पूर्ण हिस्सा [illegible] हस्तान्तरण जरिये दान पत्र दिनांक 18/11/2021 के आधार पर अपने सगे भाई प्रार्थीगण 1 [illegible] चन्द व 2 धेवरचन्द के पक्ष में पंजीकृत करवा दिया गया जो वर्तमान में रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। [illegible] उपरोक्त वर्णित खेत खसरा नम्बर 881/950 के खातेदारान् की वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जाति एवं नक्शा [illegible] गलत अंकित है जिसको दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 881/950 रकबा 2-06 बीघा के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अपनी जाति एवं नक्शा पूर्व जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के अनुसार शुद्ध अंकित करवाना चाहते है। प्रार्थीगण उक्त खसरा भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार होने के कारण प्रार्थीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान कम्पयुटराईज नक्शा ट्रेश में उक्त खसरा नम्बर 881/950 रोही साण्डवा में दक्षिणी पूर्वी पाखी में दर्शित चला आ रहा है जहां प्रार्थीगण की कोई भूमि नहीं रही है एव ना ही आज दिन है। प्रार्थीगण का वादगत खेत खसरा नम्बर 881/950 आबादी ग्राम साण्डवा के चिपता सड़क नोखा सीकर पर स्थित है। प्रार्थीगण को राजकीय अनुदान प्राप्त करने वास्ते, खेत हिस्सा का विभाजन करवाने, भूमि की किस्म रूपान्तरण करवाने में परेशानीयां हो रही है। प्रार्थीगण उक्त खसरा भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज हिस्सेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण वादगत खेत खाता नम्बर 881/950 रकबा 0.5818 हैक्टेयर (2-06 बीघा) रोही साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू के रेकॉर्डेड खातेदार है इसलिए प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर 881/950 रकबा 0.5818 हैक्टेयर रोही साण्डवा तहसील बीदसर में स्थित है जिसका श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। अप्रार्थी स. 2 का हित प्रार्थीगण के समान है लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी स्वयं मौजूद नही होने के कारण पक्षकार गौण अप्रार्थी के रूप में संयोजित है आदि आदि प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही साण्डवा खेत खसरा नम्बर 881/950 रकबा 0.5818 हैक्टेयर के नवशा ट्रेश की वास्तविक स्थिति मुताबिक साबिका रेकार्ड, प्रार्थीगण के रेकार्ड, नक्शा दिनांक 28/7/2004 एवं सेटलमेन्ट नक्शा अनुसार सड़क नोखा-सीकर पर शुद्ध दर्ज किये जाने एवं प्रार्थीगण की जाति सही शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश अता फरमाये। अप्रार्थी सख्या 1 को मुताबिक निर्णय पालना हेतू आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से जवाब प्रार्थना पत्र मय फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। साक्ष्य में प्रार्थी केशरीचन्द ने अपने सशपथ बयान प्रस्तुत कर दस्तावेज जमाबन्दी खसरा नम्बर 881/950 रोही साण्डवा प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेश खसरा नम्बर 881/950 प्रदर्श-2, प्रमाणित प्रति फर्द मिलान रकबा प्रदर्श-3, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेश संवत् 1946 प्रदर्श-4, मूल विकय पत्र दिनांक 27/2/1967 प्रदर्श-5, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2068-72 पी. 35 कमांक 5936 प्रदर्श-6, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2072-75 पी. 35कमांक 7853 प्रदर्श-7 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये।

हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है, जवाब पैराकार राज में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नम्बर 881/950 के खातेदार पंजीकृत विकय पत्र में संलग्न आसे पासे की भूमि पर काबिज है सग्रीगेशन के समय बने नवीन ऑनलाइन नक्शा शीटों में खसरा नम्बर 881/950 को खसरा नम्बर 880 की मूल आकृति

लगातार___5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

पास अंकित किया हुआ है प्रार्थी खातेदार खसरा नम्बर 881/950 को खसरा नम्बर 880 से हटाकर गत शीट एवं पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित आसे पासे की भूमि पर संशोधित करवाना चाहता है जो कि मौका एवं रिकॉर्ड के अनुसार सही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही साण्डवा के खेत खसरा नम्बर 881/950 का वर्तमान राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेश में अंकन मूल खसरा नम्बर 880 की मूल आकृति के पास से हटाया जाकर वास्तविक स्थान नक्शा ट्रेश खसरा नम्बर 881/950, प्रमाणित प्रति फर्द मिलान रकबा, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेश संवत् 1946 अनुसार किया जाये तथा खातेदारान् की जाति प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2068-72 पी. 35 क्रमांक 5936 अनुसार शुद्ध दर्ज की जाये। रिपोर्ट पटवारी मय नक्शा आदेश का भाग रहेगा। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतु अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28-11-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)